

नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

(दिनांक 16/04/2024 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त)

श्री ए बिपिन मेनन, विकास आयुक्त नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) की अध्यक्षता में दिनांक 16/07/2024 को सुबह 10:30 बजे हाइब्रिड मोड के माध्यम से आयोजित नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

A. बैठक के दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

1. श्री सुरेन्द्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) (पत्र दिनांक 23/09/2008 के अनुसार वाणिज्य विभाग के नामित)
2. श्री नवीन कर्णवाल, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, नोएडा आयुक्तालय।
3. श्री जगदीश चंद्र, सहायक डीजीएफटी, अतिरिक्त डीजीएफटी, सीएलए का कार्यालय, नई दिल्ली।
4. श्री के.सी. तनेजा, आयकर अधिकारी, आयकर विभाग, नोएडा।
5. श्री विनय कुमार, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नोएडा के प्रतिनिधि। श्री फणी किरण, सहायक विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी), सीएलए, नई दिल्ली।

B. इसके अलावा, बैठक के दौरान (i) किरण मोहन मोहादिकर, उप विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (ii) अमित कुमार गुप्ता, निर्दिष्ट अधिकारी, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (iii) प्रमोद कुमार, सहायक विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, और (iv) भारत भूषण, सहायक, परियोजना अनुभाग, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, नोएडा भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। बताया गया कि बैठक आयोजित करने के लिए निर्धारित गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक आगे बढ़ सकती है।

C. प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। एक संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची को क्रमिक रूप से लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के साथ-साथ आवेदकों/इकाइयों के प्रतिनिधियों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के बाद सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

D. कार्यसूची में शामिल प्रस्तावों पर मदवार निर्णय:

(1) दिनांक 24/06/2024 को आयोजित अनुमोदन समिति की अंतिम बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन।
दिनांक 24/06/2024 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के विरुद्ध न तो कोई संदर्भ था और न ही आपत्तियाँ थीं। इसलिए, अनुमोदन समिति ने इस पर ध्यान दिया और तदनुसार, 24/06/2024 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदन समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

(2) मंडप इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड- नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) में एक इकाई स्थापित करना।

2.1 यह सूचित किया गया कि मेसर्स मंडप इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ने नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) में एक नई इकाई स्थापित करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसके लिए "निम्नलिखित

का निर्माण किया जाएगा: (i) चैनल (रेल) (72169100) (1,00,000 नग/वर्ष); (ii) धातु की चादर घटक (73089090) (60,00,000 नग/वर्ष); (iii) चैनल (हेड ट्रे) (87089900) (80,000 नग/वर्ष); (iv) पहिए रिम (87149290) (9,00,000 नग/वर्ष)।

2.2 निदेशक श्री अश्वनी मदान अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। उन्होंने बताया कि वे मोटरसाइकिल और मोपेड के लिए रिम बनाने के व्यवसाय में हैं। 2004 से वे रिम का निर्यात कर रहे हैं और वर्तमान निर्यात कारोबार लगभग 2.50 करोड़ रुपये है। उन्होंने आगे बताया कि कंपनी का 45% राजस्व यू.के. और यूरोप (ई.यू.) को निर्यात से आता है।

2.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) में एक इकाई स्थापित करने के लिए मेसर्स मंडप इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

(3) कृति मेटफॉर्म लिमिटेड - स्वीकृति पत्र (LOA) का नवीनीकरण, अतिरिक्त अधिकृत परिचालनों को शामिल करना और प्रदर्शन की निगरानी।

3.1 यह बताया गया कि मेसर्स कृति मेटफॉर्म लिमिटेड ने पांच साल के चौथे ब्लॉक की शेष अवधि यानी 04/10/2027 तक के लिए स्वीकृति पत्र (LOA) के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया था। उन्होंने निम्नलिखित विवरण के अनुसार अतिरिक्त अधिकृत संचालन को शामिल करने का प्रस्ताव दिया:

मौजूदा अधिकृत संचालन	प्रस्तावित
(1) शीत लोहारी डाई, पाउडर दबाने वाले डाइस, ड्रा और एक्सट्रूजन डाइस, प्रेस टूल्स कार्बाइड कटर, पंच, जिग्स और फिक्सचर, शीट मेटल और मशीनी हिस्सों (8207, 8467) का विनिर्माण; (2) पावर प्रेस, प्रोसेस मॉनिटर सिस्टम, स्ट्रिप फीडर, स्प्रिंग्स (8462, 8466, 8537, 8538, 9017, (2) (3) निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करना: (ए) अभियांत्रिकी और डिजाइन सेवाएं: मशीन निर्माताओं और मशीनरी अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए उपकरण, जिग्स और फिक्सचर, सटीक मशीनरी हिस्सों की डिजाइनिंग। (इस शर्त के अधीन कि व्यापारिक वस्तुओं की घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा व्यापार के लिए अन्य सामान्य शर्तें लागू होंगी)	(1) विनिर्माण: (i) शीत लोहारी डाई, पाउडर दबाने वाले डाइस, ड्रा और एक्सट्रूजन डाइस, प्रेस टूल्स पंच (82073000) (5000 सेट/वर्ष) (ii) कार्बाइड कटर (84671190) (15000 सेट/वर्ष) (iii) जिग्स और फिक्सचर (84663020) (15000 सेट/वर्ष) अतिरिक्त वस्तु: (iv) धातु की चादर पार्स (73269099) (20000 सेट/वर्ष) (v) मशीनी हिस्सों (87089900) (25000 सेट/वर्ष) (vi) स्वेजिंग मशीन (84622930) (10000 सेट/वर्ष) (vii) नवीनीकरण और मरम्मत, अनुकूलन, स्वचालन और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स



	मशीनरी का विकास (84629000) (2000 सेट/वर्ष); (viii) धातुओं पर काम करने के लिए मशीन टूल्स, वेल्डिंग मशीन और उपकरण (85152900) (20000 सेट/वर्ष) (2) निम्नलिखित का व्यापार: (i) पावर प्रेस (84629190) (ii) प्रक्रिया निगरानी प्रणाली (90179000) (iii) स्ट्रिप फीडर (84663090) (iv) स्प्रिंग्स (84669310); (3) निम्नलिखित सेवाएँ प्रदान करना: (ए) अभियांत्रिकी और डिज़ाइन सेवाएँ: मशीन निर्माताओं और मशीनरी के अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए उपकरण, जिग्स और फिक्स्चर, सटीक मशीनरी हिस्सों की डिज़ाइनिंग। (बी) व्यावसायिक सेवाएँ: अभियांत्रिकी उद्योगों में प्रक्रिया सुधार, टूल ट्राई आउट, नई प्रक्रिया विकास और अन्य अभियांत्रिकी सेवाओं के लिए तकनीकी परामर्श (सीपीसी 8676)
--	--

3.2 अनुमोदन समिति ने पाया कि प्रस्तावित अधिकृत संचालन अर्थात् "नवीनीकरण और मरम्मत, अनुकूलन, स्वचालन और विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी का विकास" विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियम, 2006 के नियम 18(4)(डी) के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा, आईटीसी (एचएस) कोड 84622930 (स्वैगिंग मशीनों का विनिर्माण) और 84629190 (पावर प्रेस का व्यापार) नए नामकरण का हिस्सा नहीं थे। इसलिए, इकाई को सही एचएस कोड प्रदान करने की आवश्यकता थी।

3.3 अनुमोदन समिति ने विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियम, 2006 के नियम 54 के अनुसार इकाई के प्रदर्शन की निगरानी की और पांच वर्षों के तीसरे ब्लॉक यानी 2017-18 से 2022-23 के दौरान इकाई द्वारा सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा (NFE) आय की उपलब्धि को नोट किया। हालांकि, अनुमोदन समिति ने पाया कि इकाई ने 2021-22 की अवधि के लिए केवल 59.40 लाख रुपये के लंबित विदेशी मुद्रा के लिए बैंक प्राप्ति प्रमाण पत्र (बीआरसी) प्रस्तुत किया है, जबकि इस कार्यालय ने वर्ष 2017-18 से 2020-21 के लिए बीआरसी मांगे थे।

3.4 श्री सदीस प्रेमनाथ, निदेशक अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। उन्होंने बताया कि निर्यात से प्राप्त सभी आय प्राप्त हो चुकी है।

कि।

3.5 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, पांच साल के चौथे ब्लॉक की शेष अवधि यानी 04/10/2027 तक के लिए स्वीकृति पत्र (LOA) के नवीनीकरण और अधिकृत संचालन के लिए अतिरिक्त उत्पादों को शामिल करने के लिए इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। हालांकि, बाद में सही एचएस कोड प्रस्तुत करने की शर्त थी। इकाई को पिछले ब्लॉक के लिए निर्यात आय का बीआरसी प्रदान करने का भी निर्देश दिया गया था। अनुमोदन समिति ने आगे निर्णय लिया कि “विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी का नवीनीकरण और मरम्मत, अनुकूलन, स्वचालन और विकास” विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियम, 2006 के नियम 18(4)(डी) के अनुसार होगा।

(4) अमीगा इंफॉर्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड - कंपनी के अधिकृत परिचालन में संशोधन और निदेशकों और शेयरधारिता स्वरूप में परिवर्तन।

4.1 यह बताया गया कि मेसर्स अमीगा इंफॉर्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने अधिकृत संचालन में संशोधन और व्यवसाय के क्षेत्र में बदलाव के साथ 19/02/2021 से आगे स्वीकृति पत्र (LOA) की वैधता में विस्तार के लिए आवेदन किया था। इसके अलावा, उन्होंने कंपनी के निदेशकों/शेयरधारिता स्वरूप में बदलाव के लिए भी आवेदन किया है। वैधता में विस्तार का प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड (बीओए) के विचार के लिए वाणिज्य विभाग को भेजा गया था। अनुमोदन बोर्ड (बीओए) ने 18/06/2024 को आयोजित अपनी बैठक में इकाई के प्रस्ताव पर विचार किया और स्वीकृति पत्र (LOA) को तीन साल (20.02.2021 से 19.02.2024 तक) के लिए नियमित कर दिया और स्वीकृति पत्र (LOA) की वैधता में एक साल यानी 19 फरवरी, 2025 तक के लिए और विस्तार को मंजूरी दे दी।

4.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, अधिकृत संचालन में संशोधन के लिए इकाई के प्रस्ताव को निम्नानुसार अनुमोदित किया:

“आईटी सक्षम सेवाएँ और बीपीओ अर्थात

- (i) कंप्यूटर हार्डवेयर की स्थापना से संबंधित परामर्श सेवाएँ (8410)*
- (ii) सिस्टम और सॉफ्टवेयर परामर्श सेवा (8421)*
- (iii) कार्यक्रम सेवाएँ (8424)*
- (iv) सिस्टम रखरखाव सेवाएँ (8425)*
- (v) अन्य कंप्यूटर सेवाएँ एन.ई.सी. (8499)*
- (vi) प्रबंधन परामर्श सेवाएँ (8650)”*

4.3 अनुमोदन समिति ने 18/10/2021 के निर्देश संख्या 109 के अनुसार इकाई के निदेशकों और शेयरधारिता स्वरूप में परिवर्तन पर भी ध्यान दिया।

(5) जयश्री जनरल ट्रेडिंग कंपनी - अधिकृत परिचालनों में अतिरिक्त व्यापारिक गतिविधियों को शामिल करना।

5.1 श्री बी पी शर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

5.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, प्रस्तावित गतिविधियों से जुड़े अन्य पहलुओं के साथ-साथ आवश्यक सुरक्षा उपायों और शर्तों के संबंध में वाणिज्य विभाग से प्राप्त स्पष्टीकरण के अनुरूप मामले की आंतरिक रूप से विस्तार से जांच करने के निर्देश के साथ प्रस्ताव को स्थगित कर दिया। इसके अलावा यह भी नोट किया गया कि गिफ्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) आइसगेट के कार्यान्वयन पर नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) को कीमती धातुएं प्रदान करने में सक्षम होगा और चूंकि नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में इकाइयों ने कीमती धातुओं की खरीद में ऐसा कोई मुद्दा नहीं उठाया है।

(6) निट्रो इंटरनेशनल (इकाई-1) - अतिरिक्त प्राधिकृत परिचालनों को शामिल करना, मौजूदा प्राधिकृत परिचालनों के विवरण में संशोधन, मौजूदा मद की उत्पादन क्षमता का अद्यतनीकरण और प्रदर्शन की निगरानी।

6.1 श्री शिरीष जैन, भागीदार, अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

6.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, अतिरिक्त अधिकृत संचालन को शामिल करने, मौजूदा अधिकृत संचालन के विवरण में संशोधन, मौजूदा वस्तु की उत्पादन क्षमता को अद्यतन करने और अनुमानों में संशोधन के लिए इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह अनुमोदन 6200 लाख रुपये की प्रस्तावित आयातित इनपुट सेवाओं की मूल्यवार सूची प्रस्तुत करने के अधीन है। संशोधित अधिकृत संचालन निम्नानुसार होंगे:

“विनिर्माण

- (1) बुनाई धागा और क्रोकेट धागा (आईटीसी एचएस 51071020, 51071090, 51072090, 52062200, 55095200, 61149090, 51091090, 51099000, 52079000, 51082000) (50000 किलोग्राम/वर्ष प्रत्येक)
- (2) हाथ से बुने हुए और हाथ से क्रोकेट वस्तु (61149090, 61101120, 61109000, 61130000) (50000 किलोग्राम/वर्ष);
- (3) सभी प्रकार की बुनाई सुइयां और क्रोशिया हुक और सभी प्रकार के बुनाई उपकरण, इसके सहायक उपकरण, बैग, किट और सभी हॉबी संबंधित उत्पाद (आईटीसी एचएस 39269099, 40169990, 42050090, 44170000, 44219190, 48229090, 63059000, 63079090, 68159990, 69141000, 72230091, 73199000, 73269099, 73259999, 74199990, 76169990, 82130000, 82055990, 85051190 के अंतर्गत) 90178010) (क्षमता: 1000000 संख्या/वर्ष);

- (4) सभी प्रकार के जंगरोधी इस्पात ट्यूब, रॉड और बार (73064000, 73069090, 73041110) (क्षमता: 200 टन/वर्ष)
- (5) गलीचा बनाने के उपकरण और किट, पंच सुइयां, रजाई बनाने के उपकरण, कढ़ाई के उपकरण, धागे, लकड़ी के फ्रेम, बैग और केस, ग्रीपर स्ट्रिप्स, गलीचा बनाने और पंच सुई शिल्प से संबंधित उपकरण और सहायक उपकरण (44170000, 44219990, 39269099, 73199000, 73129000, 52042030, 63059000, 42050090, 83130000, 52091119, 53091990, 52112030, 44149000, 84483100, 85098000, 94051900) (1000000 पीस/वर्ष)
- (6) गलीचा बनाने के लिए बैंकिंग कपड़ा (52091119, 53091990) (40000 मीटर/वर्ष)"

6.3 अनुमोदन समिति ने इकाई के प्रदर्शन की भी निगरानी की और पिछले पांच वर्षों के ब्लॉक यानी 2018-19 से 2022-23 के दौरान इकाई द्वारा सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा (NFE) आय की उपलब्धि को नोट किया। अनुमोदन समिति ने यह भी ध्यान दिया कि 31.03.2023 तक कोई निर्यात आय प्राप्ति के लिए लंबित नहीं दिखाई गई थी।

(7) डिलिजेंट लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड - अधिकृत परिचालनों में अतिरिक्त भंडारण माल को शामिल करना।

7.1 यह बताया गया कि इकाई ने आईटीसी (एचएस) अध्याय/कोड 08, 12, 2501, 3215, 3920, 3926, 4016, 4810, 7306, 7318, 7320, 7326, 7610, 8302, 8466, 8532, 8536, 8541, 8542, 9031, 9403, 9504 के अंतर्गत भंडारण के लिए 36 अतिरिक्त वस्तुओं को अधिकृत परिचालन में शामिल करने के लिए आवेदन किया था।

7.2 निदेशक श्री राकेश त्रिखा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया। समिति ने पाया कि कुछ एचएस कोड जो पहले शामिल किए गए थे और साथ ही जो पहले अस्वीकृत किए गए थे, उन्हें भी प्रस्तावित किया गया था। श्री त्रिखा ने कहा कि उन्होंने उत्पादों के एचएस कोड की जांच नहीं की क्योंकि उन्होंने अपने ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार सूची दी थी। उन्होंने उन उत्पादों को हटाने का अनुरोध किया जिन्हें पहले अस्वीकृत किया गया था।

7.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, अधिकृत परिचालनों में भंडारण के लिए एचएस अध्याय 3920, 3926, 4016, 7306, 7318, 7320, 7326, 7610, 8302, 8466, 8536, 8541, 8542, 9031, 9403, 9504 के तहत वस्तुओं की अतिरिक्त सूची को शामिल करने के लिए इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी देने का निर्णय लिया।

(8) दिव्या क्रिएशन्स - अधिकृत परिचालन/उत्पादन क्षमता के विवरण में परिवर्तन के लिए दी गई अनुमति का अनुसमर्थन और निष्पादन की निगरानी।

8.1 समिति ने पाया कि प्रस्तावित अधिकृत संचालन मौजूदा स्वीकृत मदों के समान थे, लेकिन विवरण/उत्पादन क्षमता में बदलाव हुआ था। फाइल पर अनुमोदन के अनुसार, प्रस्तावित अधिकृत संचालन और उत्पादन क्षमता के लिए इकाई के स्वीकृत पत्र (LOA) को पांच साल के 5वें ब्लॉक यानी 05/06/2028

तक के लिए नवीनीकृत किया गया था। हालाँकि, यह इस कार्यालय के पत्र दिनांक 27/06/2024 के माध्यम से अनुमोदन समिति द्वारा अनुसमर्थन के अधीन था।

8.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, अधिकृत संचालन/उत्पादन क्षमता के विवरण में परिवर्तन के लिए दिनांक 27/06/2024 को दी गई अनुमति की पुष्टि की।

8.3 अनुमोदन समिति ने इकाई के प्रदर्शन की निगरानी भी की और पिछले ब्लॉक यानी 2018-19 (06.06.18-31.03.19) से 2022-23 तक सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा (NFE) आय के साथ-साथ निर्धारित मूल्य संवर्धन की उपलब्धि को नोट किया। अनुमोदन समिति ने यह भी देखा कि 31.03.2023 तक 121.15 लाख रुपये मूल्य की निर्यात आय प्राप्ति के लिए लंबित थी। अनुमोदन समिति ने इकाई को वर्ष 2022-23 के लिए 121.15 लाख रुपये की लंबित विदेशी मुद्रा की वर्तमान स्थिति के साथ-साथ इकाई के बैंक द्वारा विधिवत प्रमाणित बैंक प्राप्ति प्रमाण पत्र (बीआरसी) प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर उक्त विदेशी मुद्रा की प्राप्ति नहीं की गई थी, तो प्राप्ति के लिए समय बढ़ाने के लिए बैंक/आरबीआई से अनुमति मांगी गई थी।

(9) विजयश्री फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड - (ii) शेयरधारिता स्वरूप में परिवर्तन; (ii) तीसरे पक्ष को निर्यात की अनुमति देने का अनुरोध और (iii) कार्यनिष्पादन की निगरानी।

9.1 कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि श्री हरि मोहन गुप्ता अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। प्रतिनिधि ने बताया कि तीसरे पक्ष के निर्यात के मामले में, उन्होंने घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) आपूर्तिकर्ता से कच्चा माल खरीदा और विनिर्माण के बाद उक्त घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) आपूर्तिकर्ता की ओर से नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) से माल का निर्यात किया। उन्होंने आगे बताया कि ऐसे लेन-देन में तीसरे पक्ष (यानी घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) इकाई) को डॉलर में धन प्रेषण मिलता है और उन्हें घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) इकाई से अपने शुल्क भारतीय रुपये में मिलते हैं।

9.2 अनुमोदन समिति ने आगे कहा कि शेयरधारिता स्वरूप में परिवर्तन तथा उसकी तारीखों के बारे में स्पष्टता का अभाव प्रतीत होता है।

9.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, तीसरे पक्ष के निर्यात के मामले की आंतरिक जांच करने का निर्देश दिया, जिसमें यह भी शामिल था कि क्या इन निर्यातों को निवल विदेशी मुद्रा (NFE) आय में गिना जाना चाहिए। अनुमोदन समिति ने तीसरे पक्ष के निर्यात पर अपने निर्णय को स्थगित करने का फैसला किया और निर्देश दिया कि मामले में आगे स्पष्टता आने तक किसी भी तीसरे पक्ष के निर्यात की अनुमति नहीं दी जाएगी। समिति ने आगे निर्देश दिया कि, इकाई शिपिंग बिलों और कच्चे माल की खरीद के लिए इन निर्यातों के दस्तावेजी सबूत प्रदान कर सकती है।



9.4 इसके अलावा, अनुमोदन समिति ने इकाई को स्वीकृति पत्र (LOA) जारी करने के बाद से कंपनी के शेयरधारिता स्वरूप में हुए परिवर्तनों का विवरण, साथ ही ऐसे परिवर्तनों की तारीख भी प्रदान करने का निर्देश दिया।

(10) इंडस वैली पार्टनर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड - विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियम, 2006 के नियम 19(2) के प्रावधान 4 के अनुसार दो स्वीकृति पत्र (LOA) का विलय।

10.1 यह बताया गया कि मेसर्स इंडस वैली पार्टनर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने इकाई-III (LOA सं. 05/05/2015-Proj/6669 दिनांक 06/07/2015) और इकाई-IV (LOA सं. 05/05/2016-Proj/7181 दिनांक 26/07/2016) के दो LOAs को ' सॉफ्टवेयर विकास (CPC: 842) और प्रबंधन परामर्श सेवाएँ (CPC: 865)' के रूप में प्रस्तावित अधिकृत संचालन के साथ विलय करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

10.2 श्री दीपक बत्रा, मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) और श्री निखिल अग्रवाल, प्रतिनिधि अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया। श्री बत्रा ने बताया कि प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य अपने संचालन को समेकित करना है। इससे दस्तावेजीकरण को कम करके अनुपालन, संचालन और प्रशासन को सुव्यवस्थित किया जा सकेगा।

10.3 अनुमोदन समिति ने पाया कि प्रस्तावित निवल विदेशी मुद्रा (NFE) अनुमानों में इकाई ने मशीनरी, कच्चे माल, घटकों, पुर्जों और उपभोग्य सामग्रियों की आयातित और स्थानीय खरीद का संचयी मूल्य दिया है। इसलिए, इकाई को आयातित और स्वदेशी इनपुट के अलग-अलग मूल्य देते हुए संशोधित और सही अनुमान प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।

10.4 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियम, 2006 के नियम 19(2) के प्रावधान 4 के अनुसार इकाई-IV (स्वीकृति पत्र (LOA) संख्या 05/05/2016-परियोजना/7181 दिनांक 26/07/2016) को इकाई-III (स्वीकृति पत्र (LOA) संख्या 05/05/2015-परियोजना/6669 दिनांक 06/07/2015) में विलय करने के मेसर्स इंडस वैली पार्टनर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि विलय के बाद, शुद्ध विदेशी मुद्रा की गणना के लिए ब्लॉक अवधि इकाई-III (स्वीकृति पत्र (LOA) संख्या 05/05/2015-परियोजना/6669 दिनांक 06/07/2015) के उत्पादन शुरू होने की तारीख से होगी और आयकर छूट अवधि आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार इस इकाई के संचालन की शुरुआत की तारीख से मानी जाएगी। इसके अनुसार विलय के बाद वर्तमान ब्लॉक अवधि 30.04.2022 से 29.04.2027 तक होगी। अनुमोदन समिति ने विलय के बाद अधिकृत परिचालन और अनुमानों में संशोधन पर भी ध्यान दिया, जो संशोधित अनुमान प्रस्तुत करने के अधीन है।

(11) इंडस वैली पार्टनर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड - विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियम, 2006 के नियम 19(2) के प्रावधान 4 के अनुसार तीन स्वीकृति पत्र (LOA) का विलय।



11.1 यह सूचित किया गया कि मेसर्स इंडस वैली पार्टनर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने तीन स्वीकृति पत्र (LOA) अर्थात इकाई-I (स्वीकृति पत्र (LOA) संख्या 10/296/2009-परियोजना/8577 दिनांक 10/12/2009), इकाई-II (स्वीकृति पत्र (LOA) संख्या 05/39/2011-परियोजना/583 दिनांक 18/01/2012) और इकाई-VI (स्वीकृति पत्र (LOA) संख्या 05/01/2022-परियोजना/6939 दिनांक 24/08/2022) को 'सॉफ्टवेयर विकास (CPC: 842) और प्रबंधन परामर्श सेवाएँ (सीपीसी: 865)' के रूप में प्रस्तावित अधिकृत संचालन के साथ विलय करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

11.2 श्री दीपक बत्रा, मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) और श्री निखिल अग्रवाल, प्रतिनिधि अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। श्री बत्रा ने बताया कि प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य अनुपालन, संचालन और प्रशासन को सुचारू बनाने के लिए अपने संचालन को समेकित करना है। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने कंपनियों को उपलब्ध आयकर छूट अवधि के आधार पर समूहीकृत किया है और इस मामले में वे किसी भी आयकर छूट का लाभ नहीं उठाएंगे।

11.3 अनुमोदन समिति ने पाया कि प्रस्तावित निवल विदेशी मुद्रा (NFE) अनुमानों में इकाई ने मशीनरी, कच्चे माल, घटकों, पुर्जों और उपभोग्य सामग्रियों की आयातित और स्थानीय खरीद का संचयी मूल्य दिया था। इसलिए, इकाई को आयातित और स्वदेशी इनपुट के अलग-अलग मूल्यों के साथ संशोधित अनुमान प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।

11.4 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद इकाई-II (LOA सं. 05/39/2011-Proj/583 दिनांक 18/01/2012) और इकाई-VI (LOA सं. 05/01/2022-Proj/6939 दिनांक 24/08/2022) को इकाई-I (LOA सं. 10/296/2009-Proj/8577 दिनांक 10/12/2009) में विलय करने के लिए मेसर्स इंडस वैली पार्टनर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह अनुमोदन SEZ नियम, 2006 के नियम 19(2) के प्रावधान 4 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:

(i) विलय के बाद, शुद्ध विदेशी मुद्रा की गणना के लिए ब्लॉक अवधि इकाई-I (LOA संख्या 10/296/2009-Proj/8577 दिनांक 10/12/2009) के उत्पादन के प्रारंभ की तारीख से होगी। तदनुसार विलय के बाद वर्तमान ब्लॉक अवधि 01.06.2021 से 31.05.2026 तक होगी।

(ii) विलय के बाद मौजूदा LOA से आय के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10AA के तहत कोई आयकर छूट उपलब्ध नहीं होगी।

11.5 अनुमोदन समिति ने विलय के बाद अधिकृत परिचालन और अनुमानों में संशोधन पर भी ध्यान दिया। उपरोक्त अनुमोदन संशोधित और सही अनुमानों और वचनबद्धता (100 रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर विधिवत नोटरीकृत) प्रस्तुत करने के अधीन है कि कंपनी इस विलय के बाद मौजूदा LOA के विरुद्ध किसी भी आयकर छूट का लाभ नहीं उठाएगी।

(12) जे एंड एस एक्सपोर्ट्स - स्वीकृति पत्र (LOA) का नवीनीकरण और प्रदर्शन की निगरानी।

12.1 वर्चुअल मीटिंग के विकल्प के बावजूद इकाई से कोई भी व्यक्ति मीटिंग में उपस्थित नहीं हुआ। अनुमोदन समिति ने अनुपस्थिति को गंभीरता से लिया और अगली बैठक में इसके संस्थापक की उपस्थिति के निर्देश के साथ प्रस्ताव को स्थगित कर दिया।

(13) जेपी होरोलॉजी - नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) के प्लॉट नंबर 89 पर स्थित भवन सहित अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों का मेसर्स ब्राइट एलईडी प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरण और निकासी।

13.1 मेसर्स जेपी होरोलॉजी के प्रतिनिधि श्री अशित नरूला और मेसर्स ब्राइट एलईडी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक श्री अजय गोयल अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया। श्री नरूला ने बताया कि उनके पास उप-पट्टा विलेख की प्रति नहीं मिल पा रही है।

13.2 अनुमोदन समिति ने पाया कि उप-पट्टा विलेख के अभाव में यह पता नहीं लगाया जा सकता है कि हस्तांतरणकर्ता ने विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियम, 2006 के नियम 74ए की शर्तों को पूरा किया है या नहीं।

13.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद प्रस्ताव को स्थगित कर दिया और इकाई को उप-पट्टा विलेख का पता लगाने के लिए उचित उपाय करने का निर्देश दिया।

(14) आगरा प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड - विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियम, 2006 के नियम 46(6)(x)/46(9) के अंतर्गत भेजे गए व्यक्तिगत सामान को पुनः आयात करने की अनुमति के लिए अनुरोध तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियम, 2006 के नियम 46(6)(x) एवं नियम 46(9) के प्रावधानों का गैर-अनुपालन।

14.1 यह बताया गया कि इकाई ने चांदी और नकली आभूषणों के सामान को फिर से आयात करने की अनुमति देने का अनुरोध किया था, जिसे व्यक्तिगत सामान (चालान संख्या आगरा/आर/006/22-23, एसबी संख्या 4001322 दिनांक 13/01/2023 के तहत 3 बैग) के तहत भेजा गया था। ये विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियम, 2006 के नियम 46(9) के तहत वापसी योग्य आधार पर निर्यात संवर्धन उद्देश्य के लिए एफओसी व्यापार नमूने थे।

14.2 यह भी बताया गया कि विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियम, 2006 के नियम 46(6)(x) के साथ-साथ नियम 46(9) में यह प्रावधान है कि "इकाई प्रदर्शनी या प्रदर्शन दौरे में बिना बिके सामान को प्रदर्शनी के पूरा होने से पैंतालीस दिनों के भीतर या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए जा सकने वाले दिनों के भीतर वापस लाएगी;" /हालांकि, वर्तमान मामले में, इकाई ने 45 दिनों के भीतर माल का आयात नहीं किया है।

14.3 निदेशक श्री रोहित गुप्ता अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए तथा प्रस्ताव की व्याख्या की। उन्होंने बताया कि उन्होंने कार्नेट के लिए आवेदन किया था तथा सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात सक्षम प्राधिकारी (फिक्की, दिल्ली) द्वारा विभिन्न देशों में व्यापार संवर्धन दौरे/प्रदर्शनियों के लिए एक वर्ष (10/01/2024 तक वैध) के लिए कार्नेट (CARNET) IN22/2023/DE जारी किया गया। श्री गुप्ता ने अनुरोध

को

रह

किया कि उन्हें कार्नेट के अनुसार 45 दिनों की अवधि (जैसा कि विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियम, 2006 के नियम 46(9) के अंतर्गत निर्धारित है) के स्थान पर 365 दिनों के भीतर माल पुनः आयात करने की स्वीकृति प्रदान की जाए।

14.4 यह भी बताया गया कि 06/02/2024 को हुई अनुमोदन समिति की बैठक के निर्णय के अनुसार मामले की जांच के लिए एक आंतरिक समिति गठित की गई थी। आंतरिक समिति ने अपनी रिपोर्ट इस प्रकार प्रस्तुत की है:

“यह सूचित किया गया है कि इकाई 45 दिनों की निर्धारित समय अवधि के बाद इन वस्तुओं को क्षेत्र में लाने का इरादा रखती है। इस संबंध में, समिति ने पाया कि विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) अधिनियम/नियमों में ऐसा करने की अनुमति देने के लिए कोई प्रावधान निर्धारित नहीं है। हालांकि, समिति ने नोट किया कि आरोपित माल निःशुल्क व्यापार नमूने हैं जिनका उपयोग निर्यात संवर्धन के लिए किया जाता है। इसके अलावा, इकाई ने एटीए कार्नेट का लाभ उठाया था, जिससे वह कई देशों में प्रदर्शनियों में भाग लेने में सक्षम हुई।

4. इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, समिति की राय है कि इकाई को 100% जांच और मूल्यांकन के अधीन आरोपित माल को फिर से आयात करने की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि, नियम 46(6) के तहत प्रक्रियात्मक चूक इसे विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम (एफटीडीआर) अधिनियम के तहत उचित दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी बनाती है।

5. इकाई द्वारा 45 दिनों की अवधि के बजाय कार्नेट के अनुसार 365 दिनों के भीतर माल को फिर से आयात करने की अनुमति देने के अनुरोध के संबंध में, ऐसा प्रतीत होता है कि अनुरोध वास्तविक है और निर्यात संवर्धन के कारण को आगे बढ़ाएगा। हालांकि, परिदृश्य के संबंध में किसी भी वैधानिक प्रावधान के अभाव में, वाणिज्य विभाग के विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) प्रभाग से स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है।

14.5 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद निम्नानुसार निर्णय लिया:

(i) इकाई को 100% जांच और मूल्यांकन के अधीन संदिग्ध माल को फिर से आयात करने की अनुमति दी जा सकती है।

(ii) अनुमोदन समिति ने निर्यात किए गए माल को निर्धारित समय सीमा के भीतर न लाकर विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियम 46(6)(x) के उल्लंघन के लिए इकाई के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए एफटी (डी एंड आर) अधिनियम के तहत एससीएन जारी करने का निर्णय लिया। अनुमोदन समिति ने एससीएन जारी करने और उसके निर्णय के लिए डीसी, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) के कार्यालय को अधिकृत किया।

(iii) 45 दिनों की अवधि के बजाय कार्नेट के अनुसार 365 दिनों के भीतर माल को पुनः आयात करने की अनुमति देने के संबंध में, मामले को स्पष्टीकरण के लिए वाणिज्य विभाग को भेजा जा सकता है।

(15) रॉयल एक्सपोर्ट्स - मेसर्स ग्लोबल डायमंड्स प्राइवेट लिमिटेड (जीडीपीएल) से खरीद से संबंधित मामला और हीरे के स्टॉक को जारी करने का अनुरोध।

15.1 मेसर्स रॉयल एक्सपोर्ट्स में भागीदार श्री आर सी सोनी अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया।

15.2 यह सूचित किया गया कि 06/02/2024 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णय के अनुसार, मामले की जांच के लिए एक आंतरिक समिति गठित की गई थी। आंतरिक समिति ने अपने निष्कर्ष/रिपोर्ट निम्नानुसार प्रदान की हैं:

“ए) मेसर्स रॉयल एक्सपोर्ट्स, प्लॉट नं. 02, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ), नोएडा के संबंध में तथ्य एवं निष्कर्ष:-

मेसर्स रॉयल एक्सपोर्ट्स ने जुलाई 2016 में मेसर्स जीडीपीएल से 13,01,12,994/- रुपये मूल्य के हीरे तथा सोने, प्लेटिनम और चांदी के अन्य सामान खरीदे थे। खरीद के समय प्लेटिनम और चांदी उनके स्वीकृति पत्र (LOA) के अंतर्गत नहीं थे। हालांकि, यूएसी की मंजूरी के बाद सितंबर 2016 में दोनों सामान इकाई के स्वीकृति पत्र (LOA) में शामिल कर लिए गए।

मेसर्स रॉयल एक्सपोर्ट्स को 03.07.2024 को व्यक्तिगत सुनवाई की अनुमति दी गई, जिसमें श्री आर.सी. सोनी और श्री मनोज सोनी ने भाग लिया। पी.एच. के दौरान, उन्होंने कहा कि उन्होंने मेसर्स जीडीपीएल से उक्त सामान खरीदा था और प्राधिकरण को इसकी सूचना दी थी। अतीत में, उनके स्वीकृति पत्र (LOA) को बार-बार कम अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया था और वे इस परिदृश्य में अपना व्यवसाय जारी रखने की स्थिति में नहीं हैं। इसके अलावा, उन्होंने उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर मामले में कार्रवाई करने और निर्यात उद्देश्य के लिए स्टॉक जारी करने का अनुरोध किया। साथ ही, उन्होंने प्रस्तुत किया है कि यदि घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) हटाने की अनुमति दी जाती है तो वे स्टॉक पर लागू शुल्क का भुगतान करने के लिए तैयार हैं।

पी.एच. और उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन के बाद, समिति की राय है कि खरीद के समय यानी जुलाई 2016 के महीने में, मेसर्स रॉयल एक्सपोर्ट्स के स्वीकृति पत्र (LOA) के तहत चांदी और प्लेटिनम शामिल नहीं थे। हालांकि, इकाई ने दोनों वस्तुओं को अपने स्वीकृति पत्र (LOA) में शामिल कर लिया था। इकाई ने खरीद के लेन-देन के बारे में भी सूचित किया था। इकाई की ओर से कोई अत्यधिक देरी नहीं हुई थी। इकाई ने उनके पास उपलब्ध दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं और यूएसी की कार्यवाही, अधिकारियों और आंतरिक समिति के साथ पत्राचार के दौरान सहयोग किया है।

चर्चा और विचार-विमर्श के बाद, समिति का विचार है कि खरीद से संबंधित लेनदेन को यूएसी द्वारा नियमित किया जा सकता है। इकाई को निर्धारित जांच और मूल्यांकन के बाद अपने अधिकृत संचालन के अनुसार हीरे का उपयोग करने की अनुमति भी दी जा सकती है।



हालांकि, स्वीकृति पत्र (LOA) में आवश्यक संशोधन किए बिना माल की खरीद की प्रक्रियागत चूक के लिए विदेशी व्यापार और विनियमन अधिनियम, 1992 के तहत निर्धारित प्रावधानों के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है।

बी) मेसर्स ग्लोबल डायमंड्स प्राइवेट लिमिटेड (एम/जीडीपीएल) से संबंधित तथ्य और निष्कर्ष:-
मेसर्स जीडीपीएल ने जुलाई 2016 में हीरे और अन्य सामान मेसर्स रॉयल एक्सपोर्ट को हस्तांतरित/बेचा था। हालांकि, जीडीपीएल का स्वीकृति पत्र (LOA), जो 31.03.2012 को पहले ही समाप्त हो चुका था, बाद में सक्षम प्राधिकारी द्वारा 28.09.2015 को रद्द कर दिया गया था। अनुमोदन बोर्ड (बीओए) द्वारा भी रद्दीकरण को बरकरार रखा गया था।

इस संबंध में विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) अधिनियम की धारा 16(3) के प्रावधानों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें कहा गया है कि - "इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल प्रभाव के बिना, जिस उद्यमी का अनुमोदन पत्र उप-धारा (1) के तहत रद्द कर दिया गया है, वह अपनी इकाई से संबंधित पूंजीगत वस्तुओं, स्टॉक में पड़े तैयार माल और अप्रयुक्त कच्चे माल के संबंध में उसके द्वारा प्राप्त छूट, रियायत, वापसी और किसी भी अन्य लाभ को निर्धारित तरीके से वापस कर देगा"

हालांकि, जीडीपीएल उनके पास उपलब्ध स्टॉक पर प्राप्त छूट वापस करने में विफल रहा। इसके विपरीत, जब उनका स्वीकृति पत्र (LOA) रद्द कर दिया गया था, तो उन्होंने उन वस्तुओं को किसी अन्य विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) इकाई को बेचने का विकल्प चुना, जिससे पता चलता है कि उन्होंने वैधानिक प्रावधानों का जानबूझकर उल्लंघन किया है। इसलिए, समिति की राय है कि जीडीपीएल को स्वीकृति पत्र (LOA) रद्द करने की तिथि तक उपलब्ध स्टॉक में शामिल सभी शुल्क का भुगतान करना चाहिए। इसके अलावा, विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम (एफटीडीआर) के तहत उनके खिलाफ आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई भी शुरू की जा सकती है।"

15.3 अनुमोदन समिति ने आंतरिक समिति के कार्यसूची और निष्कर्षों/सिफारिशों पर विस्तार से और उचित विचार-विमर्श के बाद निम्नलिखित निर्णय लिए:

(i) अनुमोदन समिति ने खरीद से संबंधित लेन-देन को नियमित किया। इकाई (मेसर्स रॉयल एक्सपोर्ट्स) को जांच और मूल्यांकन के बाद हीरे को उनके अधिकृत संचालन के अनुसार उपयोग करने की अनुमति दी गई।

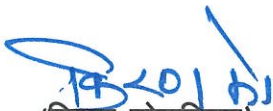
(ii) हालांकि, अनुमोदन समिति ने स्वीकृति पत्र (LOA) में आवश्यक संशोधन किए बिना माल की खरीद करने की प्रक्रियागत चूक के लिए विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम (एफटीडीआर) अधिनियम के तहत मेसर्स रॉयल एक्सपोर्ट्स के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया। इस उद्देश्य के

लिए, अनुमोदन समिति ने एससीएन जारी करने और उसके न्यायनिर्णयन के लिए डीसी कार्यालय, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) को अधिकार दिया।

(iii) अनुमोदन समिति ने नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) सीमा शुल्क को स्वीकृति पत्र (LOA) रद्द करने की तिथि तक स्टॉक में मौजूद सामग्रियों पर लागू शुल्क की प्राप्ति के लिए मेसर्स ग्लोबल डायमंड्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया।

(iv) अनुमोदन समिति ने मेसर्स के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया। ग्लोबल डायमंड्स प्राइवेट लिमिटेड पर एफटीडीआर अधिनियम के तहत उनके पास उपलब्ध स्टॉक पर प्राप्त छूट का भुगतान न करने और उन वस्तुओं को किसी अन्य विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) इकाई को बेचने का आरोप है, जबकि उनका स्वीकृति पत्र (LOA) रद्द कर दिया गया था, जिससे वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन हुआ। इस उद्देश्य के लिए, अनुमोदन समिति ने डीसी कार्यालय, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) को कारण बताओ सूचना (एससीएन) जारी करने और उसके निर्णय के लिए सशक्त बनाया।

बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।


(किरण मोहादिकर)
उप विकास आयुक्त

अर बिपिन मेनन
(ए. बिपिन मेनन)
विकास आयुक्त